संख्या-514/2025/2695/22-2-2023-17(346)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 30 मई, 2025

विषयः- जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 शाह आलम पुत्र श्री सुल्तान, निवासी जनपद-आजमगढ़ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-19923/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.06.2023), दिनांक-16.06.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 शाह आलम पुत्र श्री सुल्तान, जो कस्बा जहानागंज, थाना-जहानागंज, जनपद-आजमगढ़ का निवासी है। मकान की दीवार को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 13.04.2007 को बंदी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चा व राईफल से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 02 अन्य व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-417/2007 व 422/2007 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149, 452, 286, 504, 506 व 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेन्ट एक्ट व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 22.12.2016 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बंदी द्वारा दिनांक 30.01.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 09 माह, 17 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 04 माह, 11 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति के बैठक दिनांक 20.09.2022 को बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में पुनः अपराध की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि मकान की दीवार को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 13.04.2007 को बंदी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चा व राईफल से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने एवं 02 अन्य व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मो0 शाह आलम पुत्र श्री सुल्तान को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 शाह आलम (बन्दी संख्या-458/16) पुत्र श्री सुल्तान, निवासी जनपद-आजमगढ़ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-514/2025/2695(1)/22-2-2023 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, आजमगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-514/2025/2695/22-2-2023-17(346)/2024

दिनांक 30 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 शाह आलम पुत्र श्री सुल्तान, जो कस्बा जहानागंज, थाना-जहानागंज, जनपद-आजमगढ़ का निवासी है। मकान की दीवार को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 13.04.2007 को बंदी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चा व राईफल से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 02 अन्य व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-417/2007 व 422/2007 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149, 452, 286, 504, 506 व 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेन्ट एक्ट व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 22.12.2016 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बंदी द्वारा दिनांक 30.01.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 09 माह, 17 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 04 माह, 11 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति के बैठक दिनांक 20.09.2022 को बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में पुनः अपराध की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि मकान की दीवार को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 13.04.2007 को बंदी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चा व राईफल से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने एवं 02 अन्य व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मो0 शाह आलम पुत्र श्री सुल्तान को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in